शासित क्षेत्र में स्थित 12 केन्द्रीय विद्यालयों में 10-8-1978 को छात्रों की संख्या 16,990 है । इस के अतिरिक्त, जनकपुरी स्थित विशेष केन्द्रीय विद्यालय में 104 छात्र दाखिल हैं । यह विद्यालय लद्दाख और हिमालय के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों की आवश्यकताएं पूरी करता है ।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या क्रमशः 670 और 77 है ।

(ग) संगठन के शासी बोर्ड ने यह निर्णय किया कि शैक्षिक वर्ष 1976-77 से, अनुसूचित जातियों के छात्रों के मामले में 15% तक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के मामले में 7½% तक दाखिलों में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे । इससे पहले कोई स्वतः आरक्षित स्थान की व्यवस्था नहीं थी, हालांकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्राथमिकता वाली प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत वरीयता दी जाती थी । इसके परिणामस्वरूप, शैक्षिक सत्र 1976-77 से पहले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित केवल कुछ छात्रों को दाखिल किया जा सका । शैक्षिक सत्र 1976-77 से लेकर, अनुसूचित जाति से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों का दाखिला प्रत्येक वर्ष किया गया है और दिल्ली के केन्द्रीय स्कूलों में 15% का आरक्षित कोटा पूर्ण रूप से भरा गया है। किन्तु अनुसूचित जातियों के छात्रों के 7½% कोटे को अपेक्षित सीमा तक नहीं भरा जा सका; क्योंकि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पर्याप्त मात्रा में छात्र दिल्ली स्कूलों में दाखिले के लिए उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) जी, हां । उनके लिए योग्यता में दी गई रियायतों का पालन किया जा रहा है ।

Employment on forged certificates in work Deptt. of I. I. T., Delhi

4629. SHRI D. G. GAWAI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that persons got employment in works Department of I. I. T. Delhi during 1963-64 by producing certain certificates which have been proved forged; and

(b) if so, what action has been taken or are being taken against such persons?

THE MINISTER OF EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). One person secured employment in the Indian Institute of Technology, Delhi in 1963 by producing a forged 'No Objection' and 'No Demand' certificate purporting to be from his previous employer. The Central Bureau of Investigation, *inter-alia*, investigated the charge of producing forged certificates against this person and recommended departmental action against him.

A departmental inquiry was held against the official by the I. I. T. Delhi and on the basis of the findings of the inquiry, a minor penalty was imposed upon him. On a representation made by the official against the penalty imposed upon him, the Board of Governors of the Institute decided that the penalty imposed may be waived.

Tender for appointment of Agent for Handling and Transport for P. C. I. Godown, Partapgarh.

4630. SHRI ROOP NATH SINGH YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether any tender was invited in February, March 1978 for appointment of agent for handling and trana-

port for the Food Corporation Godown at Rai Pratapgarh (U.P.);

(b) if so, in place of lowest, the highest tender was accepted and what is the reason thereof;

(c) whether a complaint regarding malpractice was made; and

(d) what is the result of that enquiry?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (d). The Food Corporation of India have reported that tenders were invited on 4-3-1978. In response, five tenders were received. The lowest valid offer was at the rate of 248 per cent above schedule of rates (ASOR) but it was not accepted as the financial soundness and business competence of the lowest tenderer were reported to be doubtful

A complaint was received from the lowest tenderer. The matter was enquired into and no malafide intentions have been established in the award of the contract.

केन्द्रीय जल आयोग में प्रशासनिक व्यवस्था

4631. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासन और सुरक्षा बनाये रखने के लिए उनके मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग में कोई प्रशासनिक व्यवस्था है ;

(ख) चालू वर्ष में जुलाई तक दिल्ली में स्थित उस आयोग के कार्यालयों में चोरी, गोलमाल, मारपीट, मद्यपान आदि की कितनी घटनाएं हुई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने तथा दोषी अधिकारियों को दण्ड देने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां । केन्द्रीय जल आयोग के सचिव को आयोग के कार्यालयों में अनुशासन, सुरक्षा और सतर्कता का कार्य सौंपा हुआ है । अन्य अधिकारियों द्वारा इन मामलों में उन की सहायता की जाती है ।

(ख) और (ग). दो टाइपराइटरों, दो पर्दों और एक साइकिल की चोरी के तीन मामलों का पता चला है । इन सभी मामलों की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है । मद्यपान के एक मामले और केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों द्वारा मारपीट के एक मामले की सूचना मिली है। मारपीट और मद्यपान के मामले से संबंधित कर्मचारियों को सेवा से निलम्बित (सस्पेंड) कर दिया गया है और उनके खिलाफ सतर्कता संबंधी कार्रवाई की जा रही है ।

हाल ही में कार्यालय की शिफ्टिंग के दौरान केन्द्रीय जल आयोग की कुछ लेखन सामग्री को क्षति पहुंची थी जब कि नए भवन के बेसमेंट में पानी भर गया था। यह पानी बेसमेंट में पानी की टंकी से पानी के रिसने के कारण भरा प्रतीत होता है परन्तु उत्तरदायित्व, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए मामले की जांच की जा रही है ।

Hindi knowing staff in Government of India Presses

4632. SHRI MOHAN LAL PIPIL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total strength of the staff in different printing presses of the Government of India and the number of those employees who are required to possess working knowledge of Hindi according to Official Language policy of the Government;